Bentham: Concept of Liberty, Government & Sovereignty

Part-3

1. **Concept of Liberty according to Utalitarianism:-**

बेन्थम की कानून की धारणा से ही उसके स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों का अभ्युदय होता है। उसका मानना है कि "कानून एक आदेश है, एक प्रतिबन्ध है और इसलिए वह स्वतंत्रता का शत्रु है।" मानव जीवन की उपयोगितावादी योजना में स्वतंत्रता का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सुख का कोई अनिवार्य तत्व नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकता सुरक्षा है, स्वतंत्रता नहीं और इसलिए बेन्थम स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार रूप में स्वीकार करने का विरोध करता है। बेन्थम ~~का मानना है कि~~ लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि की तुलना में स्वतंत्रता को गौण स्थान प्रदान करता है। प्रो० सोरले का कथन है कि "कानून का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है और सुरक्षा के सिद्धान्त का आशय उन सभी आशाओं को बनाये रखना है जिन्हें स्वयं कानून उत्पन्न करता है। सुरक्षा सामाजिक और सुखी जीवन की एक आवश्यकता है जबकि समता एक प्रकार की विलासिता है जिसे कानून केवल उसी सीमा तक ला सकता है, जहाँ तक सुरक्षा से कोई विरोध न हो। जहाँ तक स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, वह कानून का कोई उद्देश्य नहीं है, यह तो सुरक्षा की एक शाखा मात्र है और यह एक ऐसी शाखा है जिसे कानून काट-छाँट किये बिना नहीं रह सकता है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि बेन्थम अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की स्थापना करना राज्य का उद्देश्य नहीं मानता। उसका मानना है कि "सुख ही एक मात्र कसौटी है और स्वतंत्रता को उस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं।" "Happiness is the only ultimate criterion and liberty must submit itself to the criterion. The end of the state is the maximum happiness not the maximum liberty."

Scanned with CamScanner

8. **Concept of Government** -

बेन्थम के शासन सम्बन्धी विचार भी उसकी उपयोगितावादी मान्यताओं से प्रभावित है। उसका मानना है कि शासन ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए कि जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्ध हो सके। जिस शासन का उद्देश्य Maximum happiness of the maximum number होगा, वह शासन ही न्यायोचित और सर्वश्रेष्ठ शासन होगा। बेन्थम इस सर्वश्रेष्ठ शासन का स्वरूप लोकतंत्र में पाता है। अतः उसका मानना है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन है जिसमें अधिकतम सुख अधिकतम व्यक्तियों के लिए सम्भव है। राजतंत्र में सिर्फ सर्वोच्च शासक का हित ही साधा जाता है, कुलीनतंत्र में सिर्फ कुछ ही कुलीन और धनाढ्य व्यक्तियों का हित साधन होता है। अतः लोकतंत्र के प्रति अपने झुकाव को दर्शाते हुए बेन्थम कहता है कि

"The wicked world can be improved by covering it over by Republic."

"यह दुर्गुणी दुनिया गणतन्त्रों में ढाल दिये जाने पर ठीक हो सकती है।"

स्पष्ट है कि उसका विश्वास गणतंत्र में है क्योंकि उसका विचार है कि कार्यकुशलता, मितव्ययता और जनता की सर्वोच्चता के लक्ष्य को गणतंत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है।"

शासकों के सम्बन्ध में बेन्थम का कहना है कि शासन ऐसे लोगों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए जिनके चरित्र में विवेक, परोपकार और शक्ति के ये तीन गुण हो। शासन सम्बन्धी अपनी इन्हीं मान्यताओं के कारण बेन्थम इंग्लैण्ड के शासन को बहुत त्रुटिपूर्ण मानता था और इसलिए वह उसमें कई सुधार करना चाहता था। इस सम्बन्ध में उसका प्रथम सुझाव था सार्वभौम और वयस्क मताधिकार के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner

9.

उस समय इंगलैण्ड में संसद के सदस्य चुनने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था, जिससे बहुत भ्रष्टाचार होता था। अतः वह मताधिकार का विस्तार कर इस भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहता था। साथ ही स्वतंत्र प्रेस की स्थापना, लार्ड सभा की समाप्ति, गणतंत्र की स्थापना, जिससे की अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति सम्भव हो सके।

Utilitarian Concept of Sovereignty:

बेन्थम सम्प्रभु को निरपेक्ष तथा असीमित तो मानता है किन्तु वह उसके सर्वोच्च और अनन्त शक्तिशाली रूप को स्वीकार नहीं करता। वह राज्य की विधि निर्माण की क्षमता और शक्ति को ही सम्प्रभु मानता है और उसका निर्धारण उपयोगिता के आधार पर करता है और उसी का उस पर प्रतिबन्ध भी लगाता है। इस प्रकार वह सम्प्रभुता को भी उपयोगिता की कसौटी पर कसता है और कहता है कि "विशाल जनमत किसी विधि का विरोध करता है तो सम्प्रभु का कर्तव्य है कि वह उसे कानून का रूप कदापि प्रदान न करे"।

स्पष्ट है कि बेन्थम सम्प्रभु की आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर का भाव व्यक्ति को उसी सीमा तक मानने को कहता है जिस सीमा तक उसे लाभ हो अथवा उससे उपयोगिता का लक्ष्य सिद्ध होता हो। इस प्रकार लॉक की तरह बेन्थम जनता को सम्प्रभु का विरोध करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान नहीं करता। किन्तु यदि सम्प्रभु का आदेश के पालन करने की तुलना में अधिक उपयोगी और आवश्यक हो तो जनता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सम्प्रभु का प्रतिरोध करे। उसी के शब्दों में "अवज्ञा की उपयोगिता आज्ञापालन से अधिक हो तो ऐसे सम्प्रभु की अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का नैतिक ~~कर्तव्य~~ अधिकार और कर्तव्य है"।

इस प्रकार बेन्थम सम्प्रभु के असीमित और [stamp] अधिकार पर उपयोगिता का प्रतिबन्ध लगाकर उसे सीमित करने का प्रयत्न किया है।